5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

(133)

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्र. क्रं. 694 / 13   निग – 3143 – I – 16

दिमान सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह जाति
दांगी निवासी अंडिया कला तहसील
गुलाबगंज जिला विदिशा ––––आवेदक

बनाम

धीरज सिंह आदि पुत्रगण बहादुर सिंह दांगी
निवासी अंडिया कला तहसील गुलाबगंज
जिला विदिशा ––––––––––अनावेदकगण

आवेदन पत्र धारा 51 भू0 रा0 संहिता ।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है ।

1– यह कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय मे इस कारण पेश किया गया था कि तहसील न्यायालय मे अनावेदकगण को साक्ष्य पेश करने एवं मूल दस्तावेज पेश करने अवसर दिये गये थे जिनका पालन न होने से तहसील न्यायालय ने बसीयत के आधार पर चाहे गये नामांतरण को निरस्त कर दिया जिसकी अपील माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय गुलाबगंज के समक्ष की गई किंतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वसीयत पेश नही हुई एवं साक्ष्य हेतु लगभग 13 अवसर दिये गये किंतु अनावेदक अपीलांट ने उन अवसरो का लाभ नही उठाया और अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को अंतिम निराकरण के लिये नियत कर लिया किंतु अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित करने के स्थान पर पुनः अंतरिम आदेश पारित कर अपीलांट को पुनः साक्ष्य हेतु अवसर दे दिया जबकि नियम यह है कि यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो साक्ष्य के लिये अंतिम अवसर दिया जा सकता है किंतु अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश मे अंतिम अवसर न देकर साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत कर लिया ।

2– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः साक्ष्य हेतु अवसर नियत किया गया जिस पर निगरारीकर्ता ने आपत्ति पेश की एवं निवेदन किया कि

–2–

जिस तरह अपील और निगरानी करने का अधिकार पक्षकार की इच्छा नही कानून की मंशा है उसी तरह साक्ष्य को अवसर देना पक्षकार का नही कानून का दायित्व है और कानून ज्यादा से ज्यादा तीन अवसर साक्ष्य हेतु देते है इसके अलावा यदि न्यायालय पर्याप्त समझता है तो एक अतिरिक्त अवसर और दिया जा सकता है किंतु उक्त प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी रूपी मे न होकर व्यक्तिगत रूप मे 14–15 अवसर देने के बाद भी अंतिम अवसर अपीलांट अनावेदक को निर्धारित नही किया जिसकी निगरानी , निगरानीकर्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष की माननीय न्यायालय ने भी आवेदक के लिखित बहस को अनदेखा कर अपने आदेश मे यह लिखकर की दोनो पक्षकारो ने लिखित बहस पेश नही की निगरानी खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

3– यह कि भू राजस्व संहिता की धारा 51 स्पष्ट करती है कि यदि कोई आदेश देखने मात्र से त्रुटिपूर्ण रखता है तो उस पर स्वंय न्यायालय को पुर्नविचार करना चाहिये ।

4– यह कि अन्य तथ्य वक्त बहस निवेदित हेागे ।

अतः **निवेदन है कि :–**

न्यायहित मे उक्त आवेदन स्वीकार कर कानून की मंशा देखते हुये माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक पर पुर्नविचार करने की कृपा करे ।

इति दिनांक :– 14–09–2016

प्रार्थी दीवानसिंह

दिमान सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह जाति दांगी निवासी अंडिया कला तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म0 प्र0

द्वारा – अभिभाषक

अशोक कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट
रजि नं. 6899A78

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3173–एक / 16 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–2–2019	आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष दिनांक 11–9–2018 से लगातार सूचना उपरांत अनुपस्थित है । आवेदकपक्ष द्वारा इस न्यायालय के जिस आदेश के विरूद्ध यह रिव्यु प्रकरण लगाया गया है, इस न्यायालय के उस आदेश की प्रति आज दिनांक तक संलग्न नहीं की गई है और ना ही रिव्यु मेमों में प्रकरण का कोई उल्लेख किया गया है। अतः यह रिव्यु प्रकरण उचित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	